विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में मूल्य वर्धित कर/केन्द्रीय बिक्री कर, राज्य आबकारी, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस तथा यात्री व माल कर के अनुदग्रहण/अल्पोदग्रहण से सम्बंधित ₹ 168.27 करोड़ के राजस्व निहितार्थ 18 परिच्छेद सम्मिलित हैं ।

I सामान्य

वर्ष 2019-20 हेतु सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां विगत वर्ष के दौरान ₹ 30,950.28 करोड़ की तुलना में ₹ 30,745.36 करोड़ थीं। इनमें से 33 प्रतिशत कर राजस्व (₹ 7,626.78 करोड़) तथा कर-भिन्न राजस्व (₹ 2,501.50 करोड़) के माध्यम से जुटाई गई। शेष 67 प्रतिशत विभाज्य संघीय करों के राज्यांश (₹ 4,677.56 करोड़) तथा सहायता-अनुदान (₹ 15,939.52 करोड़) के रूप में भारत सरकार से प्राप्त हुई। विगत वर्ष के प्रति राजस्व प्राप्तियों में ₹ 204.92 करोड़ की गिरावट हुई।

(परिच्छेद 1.1)

वर्ष 2019-20 के दौरान बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहन, तथा वस्तु एवं यात्री कर की 204 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच संचालित की गई जिसमें अवनिर्धारण/ अल्पोदग्रहण/राजस्व हानि के सकल ₹ 541.95 करोड़ के 1159 मामले उजागर हुए। वर्ष के दौरान सम्बंधित विभागों ने 311 मामलों में ₹ 55.70 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, इसमें से 11 मामलों में ₹ 0.03 करोड़ राशि की वसूली की गई। सम्बंधित विभागों ने विगत वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बंधित 276 मामलों को भी स्वीकार किया तथा ₹ 3.39 करोड़ की वसूली की।

(परिच्छेद 1.10)

II बिक्री एवं व्यापार पर कर/ मूल्य वर्धित कर

निर्धारण प्राधिकारियों ने कर अवधि के अंत में शेष स्टॉक में न बिके स्थानीय खरीद पर उचित रूप से विचार नहीं किया, जो 333 व्यापारियों को ₹ 8.45 करोड़ की इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक छूट के रूप में परिणत हुआ।

(परिच्छेद 2.3)

विनिर्मित वस्तुओं की प्रकृति को उचित तरीके से वर्गीकृत करने में निर्धारण अधिकारियों की विफलता के कारण कर की रियायती दर की अवैध स्वीकृति हुई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.83 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(परिच्छेद 2.4)

निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अमान्य एवं दोषपूर्ण सांविधिक फार्म की स्वीकृति तथा अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर की रियायती दर की छूट के परिणामस्वरूप ₹ 2.38 करोड़ का अल्प उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 2.36 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

(परिच्छेद 2.5)

निर्धारण अधिकारियों ने वास्तविक टर्नओवर से सकल टर्नओवर का कम आंकलन किया जैसा कि व्यापारियों के प्रमाणित लेखाओं में दर्शाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.4 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(परिच्छेद 2.6)

मजदूरी प्रभारों के प्रति अमान्य कटौती एवं अधिक कटौती अनुमत करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.33 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। साथ ही ₹ 1.41 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

(परिच्छेद 2.7)

शाखा हस्तांतरण पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को अस्वीकृत करने में निर्धारण अधिकारियों की विफलता ₹ 87.03 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट की अमान्य अनुमति के रूप में परिणत हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.24 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

(परिच्छेद 2.8)

निर्धारण प्राधिकारियों ने सृजित अतिरिक्त मांग पर उद्ग्रहणीय ₹ 72.02 ब्याज के बजाय ₹ 17.38 लाख का ब्याज उद्ग्रहित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 54.64 लाख का अल्प उद्ग्रहण हुआ।

(परिच्छेद 2.9)

वार्षिक रिटर्न में ₹ 4.55 करोड़ की बिक्री एवं अंत स्टॉक को कम करके दिखाने से ₹ 32.82 लाख के कर का अपवंचन हुआ। परिणामस्वरूप अपवंचित कर पर ₹ 25.89 लाख का ब्याज एवं ₹ 32.82 लाख की शास्ति भी देय रही।

(परिच्छेद 2.10)

III राज्य आबकारी

विभाग ने 765 बिक्रीकेन्द्रों के लाइसेंसधारियों द्वारा 100 प्रतिशत बेंचमार्क के प्रति 19,13,244 प्रूफ लीटर शराब कम उठाने पर ₹ 58.50 करोड़ की शास्ति का उदग्रहण नहीं किया। 85 प्रतिशत बेंचमार्क के प्रति कम कोटा उठाने से ₹ 2.32 करोड़ की अतिरिक्त शास्ति भी उदग्रहणयोग्य थी।

(परिच्छेद 3.3)

सक्षम प्राधिकारी ने 36 लाइसेंसधारियों से ₹ 31.27 करोड़ की कम जमा लाइसेंस फीस की वसूली हेतु न तो बिक्री-केंद्र सील करने की न ही परमिट निरस्त/निलंबित करने की कोई कार्रवाई की।

(परिच्छेद 3.4)

चालानों का सरकारी खातों में कोषागार रसीदों अर्थात ई-कोष वेबसाईट के साथ मिलान करने में विफलता तथा फर्जी चालान स्वीकार करने के परिणामस्वरूप ₹ 2.72 करोड़ के सरकारी राजस्व की हानि हुई।

(परिच्छेद 3.5)

विभाग द्वारा क्रमशः 282 बिक्री-केन्द्रों के लाइसेंसधारियों एवं सात बोतलीकरण संयंत्र/डिस्टिलरीयों से लाइसेंस फीस के विलंबित भुगतान पर ₹ 89.70 लाख एवं बोतलीकरण फीस के विलंबित भुगतान पर

₹ 44.55 लाख की ब्याज राशि की मांग न करने के परिणामस्वरूप इतनी ब्याज राशि का उदग्रहण नहीं हुआ।

(परिच्छेद 3.6)

IV स्टाम्प शुल्क

विभाग के पास पारदर्शी आवंटन एवं सरकारी भूमि के प्रभावी अनुश्रवण के लिए कोई तंत्र नहीं है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 35.44 करोड़ राजस्व की हानि हुई।

(परिच्छेद 4.3)

उप-पंजीयकों द्वारा आवासीय तथा गैर-आवासीय निर्मित संरचनाओं के लिये गलत बाजार दरों को अपनाने के परिणामस्वरूप ₹ 6.44 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस की अल्प वसूली हुई।

(परिच्छेद 4.4)

गलत सर्किल दरों तथा सड़क से भूमि की दूरी के झूठे शपथ पत्रों के आधार पर गलत मूल्यांकन के कारण ₹ 6.20 करोड़ के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीयन फीस की अल्प वसूली हुई।

(परिच्छेद 4.5)

पट्टा नामे पर देय स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस की गणना हेतु बाजारी दरों का उपयोग नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.12 करोड़ की अल्प वसूली हुई।

(परिच्छेद 4.6)

V वाहन, यात्री एवं माल कर

अवधि 2017-19 के लिए 572 व्यावसायिक वाहनों के मालिकों द्वारा ₹ 34.73 लाख के यात्री एवं माल कर का भुगतान नहीं किया गया एवं न ही विभाग द्वारा मांग की गई।

(परिच्छेद 5.3)